जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / आरकैम्प(सा0प्र0) / 1663 / 2020 दिनांकः 31 जुलाई, 2020

अति–आवश्यक / सम्यबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त अनुदानित, राजकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

विषयः–**दिनांक 04 अगस्त 2020 से ऑनलाइन शिक्षण कार्य हेतु ई–कन्टेन्ट तैयार कर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 1028 / सत्तर–1–2020 दिनांकः 11 जुलाई, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय स्तर पर माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में समस्त संकायाध्यक्षों की सम्पन्न बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2020 में विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन की गतिविधियों को ऑनलाइन प्रारम्भ किये जाने हेतु निम्नांकित निर्णय लिए गये हैः–

1. दिनांक 04 अगस्त, 2020 तक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर शेष समस्त कक्षाओं के आनलाइन शिक्षण हेतु समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय अपने महाविद्यालय की वेबसाइट पर समय सारणी अपलोड करेंगे। समय सारणी में विषय / प्रश्नपत्र के साथ उसे पढाने वाले शिक्षक का नाम अवश्य उल्लिखित किया जाए।
2. ई–कन्टेन्ट को सप्ताह समय सारणी के आधार के आधार पर तैयार कर समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यह कार्य 45 दिनों तक / ऑनलाइन कक्षाएँ जारी होने तक किया जाएगा।
3. समय सारणी के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे।
4. महाविद्यालय के शिक्षक ई–कन्टेन्ट अपलोड करने के साथ–साथ दत्त कार्य (Assignment) भी देंगे जिसका मूल्यांकन सम्बन्धित महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन के उपरान्त अंको की एक प्रति महाविद्यालय कोड के साथ प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी।
5. 15 दिन के शिक्षण कार्य के उपरान्त प्रत्येक महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड ई–कन्टेन्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से लिंक कराया जाएगा, जिससे कि अन्य महाविद्यालय के विद्यार्थी भी उस कन्टेन्ट से लाभान्वित हो सके।
6. 45 दिनों के ऑनलाइन शिक्षण कार्य के अन्तर्गत पाठ्यक्रम के लगभग 2 यूनिट का ई–कन्टेन्ट अपलोड किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

7. प्रायोगिक कार्यो के लिए अन्य उपलब्ध साइटस का भी प्रयोग किया जा सकता है।
8. समस्त संकायाध्यक्ष अपने संकाय से सम्बन्धित विषयों के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे तथा इनका मोबाईल नं0 महाविद्यालयों को भेजा जाएगा। जिससे तद्विषयक सम्बन्धित अध्यापक आवश्यकतानुसार सहायता प्राप्त कर सकें।
9. ई–कन्टेन्ट के निर्माण में महाविद्यालयों के अध्यापकों को यदि शैक्षिक कठिनाई/असुविधा होती है तो उस विषय के संकायाध्यक्ष उसका समाधान करेंगे।
10. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों कों यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी वेबसाइट को ई–कन्टेन्ट अपलोड किये जाने हेतु आवश्यक तकनीकी सुविधा से युक्त कर लेंगे तथा प्राचार्यगणों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों की उपस्थिति भी वेबसाइअ के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति महोदया।
2. समस्त संकायाध्यक्ष कला, वाणिज्य, विज्ञान, समाज विज्ञान, विधि, कृषि, शिक्षा, आयुर्वेद संकाय।
3. संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण।
4. उप कुलसचिव, को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग–इन पर अपलोड किये जाने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner